

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक -रीडर/ 2022/ 610

दिनांक :- 1/8/2022

मुकदमा नंबर 177/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मेहाराम पुत्र गोमाराम 2. मगाराम पुत्र गोमाराम 3. नाराणाराम गोद पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासीयान मूलजी की ढाणी (जानियाना) तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)		1. गोमाराम पुत्र रामाराम 2. भूराराम पुत्र रामाराम 3. चूनाराम पुत्र रामाराम 4. दुर्गाराम पुत्र रामाराम 5. भूराराम पुत्र आईदानराम 6. तगाराम पुत्र आईदानराम 7. तेजाराम पुत्र ठाकराराम 8. गोधूराम पुत्र रहिंगाराम 9. हडमानराम पुत्र सुरताराम 10. हरूराम पुत्र सुरताराम 11. हीराराम पुत्र सुरताराम सभी जातियान जाट निवासीयान घडोई नाडी (जानियाना) 12. हडमानराम पुत्र गोकलाराम जाति प्रजापत निवासी बालोतरा । 13. राजस्थान सरकार जरीये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

आदेश

दिनांक :- 1.8.2022

उपर्युक्त प्रकरण मौजा घडोई नाडी पटवारी क्षेत्र जानियाना, भू-निरीक्षक क्षेत्र कनाना तहसील पचपदरा में खेत खसरा संख्या 01 रकबा 25 बीघा, खसरा नं० 354/1 रकबा 25 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मददेनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित किया जाता है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

दिनांक :- 1/8/22

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 611

प्रतिलिपि :- तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये।



उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा